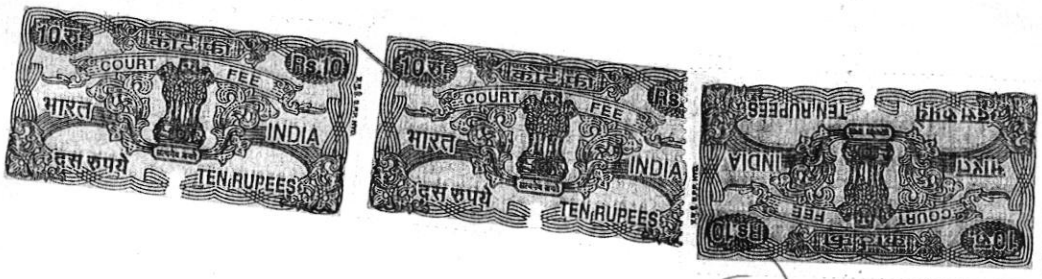

[Court fee stamps: 10 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10 — three stamps]

रा/निगरानी/टीकमगढ़/भू-रा/2017/2344 (67)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

- - - - - - - - -

प्र०क०पुन०क०

श्री राम० सिं० भटनागर, अभि० द्वारा आज दि. 24.7.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 24.7.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

Filed by
M.P. Bhatnagar Adv.

बालकिशन तनय शिवदयाल बाढ़ई निवासी
ग्रामअचर्रा तह.मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़ म.प्र.

..पुनीरीक्षणकर्ता

बनाम

मुन्नू तनय मुक्के कुम्हार निवासी ग्राम अचर्रा
तह. मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़ म.प्र.

..प्रति पुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण प्रस्तुत कार्यालय राजस्व निरीक्षकमण्डल मोहनगढ़ के सीमांकन प्र०क्र008/अ-12/2016-17मे पारित आदेश दिनांक 8/5/17 के विरुद्ध ।

- - - - - - - -

महोदय,

पुनरीक्षणकर्ताकी विनय सादर प्रस्तुत है:

1. यह कि रा०नि० मं०मोहनगढ़ के द्वारा सीमांकन आदेश दिनांक 8/5/17 बताया गया है जो बैक डेट मे आदेश किया गया है वास्तव मे आदेश 26/5/17 को आदेश पत्रिका पंचनामा तैयार किया गया क्योंकि पंचनामा पर रा०नि० के जो हस्ताक्षरहै उसके नीचे तारीख 26/5/17 डाली गई है उक्त कार्यवाही बैकडोर की चोरी छिपे की गई ताकि पुनरीक्षणकर्ता पुनरीक्षण करने से वंचित रह जाए ।

2. यहिह कि प्रति पुनरीक्षणकर्ता ने अपनी भूमि ख.न.57/मिन-2 के सीमांकन हेतु आवेदन रा०नि०मं० मोहनगढ़ को प्रस्तुत किया था इस खसरानंबर से लगी हुई भूमि ख.नं.22/4/ख पुनरीक्षणकर्ता की भूमि है जिस पर पुनरीक्षणकर्ता अपने सपरिवार कृषि कार्य करता चला आ रहाहैख.नं. 57मे अवैधानिक तरीके से प्रतिपुनरीक्षणकर्ता एवं उसकी पत्नि ने 0.809हे० भूमि भू बंटन मे प्राप्त कर ली थी जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारीन्यायालय को अपील प्रस्तुत की गई है ।

3. यह कि रा०नि० के द्वारा सीमांकन 8/5/17 को बतलाया जा रहा है जब किपंचनामा के प्रमाणीकरण मे 26/5/17 तारीख डली है प्रतिवेदन मे 0.200हे० पर पुनरीक्षण का कब्जा जोत के रूप मे उल्लेखित किया गया है यहां

[signature]

प्रकरण कमांक एक/निगरानी/टीकमगढ/भू.रा/2017/2344

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक एक/निगरानी/टीकमगढ/भू.रा/2017/2344

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
13-9-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री एम0 पी0 भटनागर उपस्थित होकर उनके द्वारा राजस्व निरीक्षक मोहनगढ जिला टीकमगढ म0प्र0 का प्र0 क0 8/अ–12/16–17 में पारित आदेश दिनांक 8.5.17 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्व निरीक्षक मोहनगढ के द्वारा सीमांकन आदेश दिनांक 8.5.17 बताया गया है जो बेक डेट में आदेश किया गया है वास्तव में आदेश 26.5.17 को आदेश पत्रिका पंचनामा तैयार किया गया। क्यों कि पंचनामा पर राजस्व निरीक्षक के जो हस्ताक्षर है उसके नीचे तारीख 26.5.17 अंकित की गई हैं । आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया है कि सूचना पत्र दिनांक 2.6.17 की तारीख डाली गई है और ओबर राइटिंग की गई है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि सरहदी कास्तकारों को सूचना नहीं दी गई है। अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर राजस्व निरीक्षक मोहनगढ जिला टीकमगढ म0प्र0 का प्र0 क0 8/अ–12/16–17 में पारित आदेश दिनांक 8.5.17 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।	

3– आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया उनके द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन करने पर पाया गया कि दिनांक 8.5.17 को राजस्व निरीक्षक मोहनगढ द्वारा सीमांकन हेतु पटवारी हल्का सहित पूर्व सूचना अनुसार मौके पर बन्दोवस्ती चिन्हों से जरीब लाईन चलाकर आवेदित खसरा नम्बर की सीमांऐ ज्ञान की एवं सीमा के चारों ओर पत्थर बढवाये गये मौके पर आवेदक एवं ग्राम के अन्य पंचान उपस्थित रहे। सरहदी कृषक सीमांकन के दौरान मौके पर उपस्थित थे। एक अन्य कृषक का कब्जा पाया गया है जिसे समझाइश दी गई।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक मोहनगढ धारा 129 के प्रावधानों का पालन कर ही सीमांकन किया गया है। अतः राजस्व निरीक्षक मोहनगढ जिला टीकमगढ म0प्र0 का प्र0 क0 8/अ–12/16–17 में पारित आदेश दिनांक 8.5.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है।

सदस्य